

संख्या 27/11/2012-SRS  
भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक एवं प्रक्षिण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली  
दिनांक : 25 सितम्बर, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव  
उत्तर प्रदेश सरकार  
लखनऊ
2. मुख्य सचिव  
उत्तराखण्ड सरकार,  
देहरादून

विषय: श्री राज नारायण, आरक्षी, गृह विभाग का अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दिशानिदेश के अंतर्गत राज्य पुनरावंटन ।

महोदय,

ऊपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 10-07-2012 को आयोजित बैठक में श्री राज नारायण, आरक्षी, गृह विभाग के प्रकरण पर विचार किया गया । बैठक में विभागीय प्रतिनिधि द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि यह आरक्षी अनुसूचित जाति के कार्मिक है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी है । अतः समिति द्वारा श्री राज नारायण आरक्षी, गृह विभाग का दिनांक 24-06-2010 के आदेश में निहित दिशानिदेशों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन किए जाने कि संस्तुति की गई ।

भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री राज नारायण, आरक्षी, गृह विभाग का राज्य पुनरावंटन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दिशानिदेशों के अंतर्गत उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए किया जाता है । संबंधित कार्मिक को आवंटन के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. श्री आर0के0 सुधान्शु, अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून ।

